

FORM No. 1H

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय..... S.D.O. (A.C.E.M.) मुकाम..... नगर (भारतपुर)

बनाम..... राम विश्वेश्वर लक्ष्मण शर्मा

मुकदमा नं. 22/17 सन 2017  
क्र. 40 पत्र W/O-39 R.J. (C.P.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	--

22/17

डा. ज. प. नावली राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए (2017) केस नं. 22/17 में प्रस्तुत हुई। मामले के अंत में जज का निर्णय है कि लक्ष्मण शर्मा को मुक्त तथा लक्ष्मण शर्मा को जमानत का फल देना कि इस निर्णय को अंतिम माना जाये। तदनुसार यह आदेश दिया जाता है। यथा उचित प्रमाणों के बिना ही प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

(निर्मल लाल शर्मा  
जज  
नगर (भारतपुर)

*Ram Vishveswar*

